न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **218/2019** दायर दिनाँक **13.09.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भवानी सिंह पुत्र मेघ सिंह उम्र 41 वर्ष जाति राजपूत निवासी सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी

दिनाँक **06.10.2021**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वर्तमान खातेदारी में मेघ सिंह पुत्र देवी सिंह कौम राजपुत साकिन देह खातेदारी ग्राम का नाम सूपका पटवार हल्का सूपका भू–अभिलेख निरक्षक दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर की जमाबंदी दर्ज होना चाहिए था, परन्तु अशुद्ध नाम सहवन से मंगेज सिंह पुत्र देवी सिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार खसरा संख्या 120/472 एवं खसरा संख्या 176 में दर्ज हो गया है।

यह है कि मेघ सिंह उर्फ मंगेज सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है तथा सरकारी रेकार्ड में जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन डायरी इन्यादि में मेघ सिंह ही नाम दर्ज है तथा वादी के पिता मेघ सिंह कि दिनांक 08.10.2018 को मृत्यु हो चुकी है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र में भी मेघ सिंह पुत्र देवी सिंह नाम दर्ज है।

यह है कि मेरे पिताजी के नाम में राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध नाम मंगेज सिंह पुत्र देवी सिंह दर्ज हाने से हमारे कानूनी अड़चने उत्पन्न हो रही है। जिससे वास्तविक नाम जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत आया है।

प्रार्थना वादी की ओर से निम्न प्रार्थना है–

यह है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमावें कि ग्राम का नाम [illegible] सूपका भू–अभिलेख निरक्षक दयालपुरा तहसील डीडवाना जिला न[illegible] जमाबंदी में दर्ज खसरा संख्या 120/472 एवं खसरा संख्या 176 में [illegible] मंगेजसिंह पुत्र देवी सिंह के स्थान पर शुद्धिकरण करते हुए मेघ [illegible] पुत्र देवी सिंह नाम राजस्व रेकार्ड किया जाने का निर्णय फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:58:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। वाद में वर्णित खसरा संख्या 120/472 एवं खसरा संख्या 176 में वादी के पिता का नाम मंगेजसिंह पुत्र देवी सिंह के स्थान पर मेघ सिंह पुत्र देवी सिंह राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सूपका के खसरा संख्या 120/472 एवं खसरा संख्या 176 में वादी के पिता का नाम वादी के पिता का नाम मंगेजसिंह पुत्र देवी सिंह के स्थान पर मेघ सिंह पुत्र देवी सिंह राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **06.10.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्‌दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **218/2019** दायर दिनाँक **13.09.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भवानी सिंह पुत्र मेघ सिंह उम्र 41 वर्ष जाति राजपूत निवासी सूपका, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 **L.R. Act.**

दिनाँक **06.10.2021**

यह मुकद्‌दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्‌दई श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी की ओर से मद्‌दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सूपका के खसरा संख्या 120/472 एवं खसरा संख्या 176 में वादी के पिता का नाम वादी के पिता का नाम मंगेजसिंह पुत्र देवी सिंह के स्थान पर मेघ सिंह पुत्र देवी सिंह राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—.............. बाबत....................—....................
खर्चा इस मुकद्‌दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.10.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्‌दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरी[illegible] का[illegible]हे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:58:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner